



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 2012/कार्तिक 14, 1934

No. 240]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 2012/KARTIKA 14, 1934

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2012

दूरसंचार टैरिफ ( चौवनवां संशोधन ) आदेश, 2012

(2012 का 06)

सं. 301-59/2012-एफ एण्ड ईए.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) उप-खण्ड (i) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, नामतः :- टैरिफ

- (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (चौवनवां संशोधन) आदेश, 2012 कहा जाएगा।  
(2) यह आदेश नवम्बर, 2012 माह के 20वें दिन को प्रवृत्त होगा।
- दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 (जिसे आगे मूल टैरिफ आदेश कहा गया है) के खंड-3 में वर्णित "अनुसूची I से XII" शब्दों एवं अंकों को "अनुसूची I से XIII" शब्दों एवं अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- मूल टैरिफ आदेश की अनुसूची- XII के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

" अनुसूची- XIII  
(खंड 3 देखें)

दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) के विनियम 14 के अंतर्गत पंजीकृत टेलीमार्केटर या विनियम 20 के उप-विनियम (2) के खंड (ज) में वर्णित लेन-देन के संदेश भेजने वाली संस्था के अलावा, किसी भी व्यक्ति द्वारा भेजे जाने वाले संक्षिप्त संदेश सेवाओं (एसएमएस) के लिए टैरिफ निम्न प्रकार होगा:-

मद	टैरिफ
1. प्रति सिम, प्रति दिन एक सौ एसएमएस तक	आस्थगित (फॉर्बेन्स)
2. प्रति सिम, प्रति दिन एक सौ एसएमएस से आगे के प्रत्येक एसएमएस के लिए	प्रति एसएमएस - पचास पैसे से कम नहीं ।

राज पाल, सलाहकार (एफ एण्ड ईए)

[विज्ञापन-III/4/142/12/असा.]

टिप्पणी 1 : दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 दिनांक 09 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए:-

संशोधन संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख
पहला	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.1999
दूसरा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
तीसरा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
चौथा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.7.1999
5वां	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 17.9.1999
6वां	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.9.1999
7वां	301-8/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.2000
8वां	301-8/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.7.2000
9वां	301-8/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.8.2000
10वां	306-1/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 9.11.2000
11वां	310-1(5)/ट्राई-2000 दिनांक 25.1.2001
12वां	301-9/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.1.2001
13वां	303-4/ट्राई-2001 दिनांक 1.5.2001
14वां	306-2/ट्राई-2001 दिनांक 24.5.2001
15वां	310-1(5)/ट्राई-2000 दिनांक 20.7.2001
16वां	310-5(17)/2001-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.8.2001
17वां	301/2/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 22.1.2002
18वां	303/3/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.1.2002

19वां	303/3/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.2.2002
20वां	312-7/2001-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.3.2002
21वां	301-6/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 13.6.2002
22वां	312-5/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 4.7.2002
23वां	303/8/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 6.9.2002
24वां	306-2/2003-आर्थिक दिनांक 24.1.2003
25वां	306-2/2003-आर्थिक दिनांक 12.3.2003
26वां	306-2/2003-आर्थिक दिनांक 27.3.2003
27वां	303/6/2003-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.4.2003
28वां	301-51/2003-आर्थिक दिनांक 5.11.2003
29वां	301-56/2003-आर्थिक दिनांक 3.12.2003
30वां	301-4/2004 (आर्थिक) दिनांक 16.1.2004
31वां	301-2/2004-आर्थिक दिनांक 7.7.2004
32वां	301-37/2004-आर्थिक दिनांक 7.10.2004
33वां	301-31/2004-आर्थिक दिनांक 8.12.2004
34वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 11.3.2005
35वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 31.3.2005
36वां	312-7/2003-आर्थिक दिनांक 21.4.2005
37वां	312-7/2003-आर्थिक दिनांक 2.5.2005
38वां	312-7/2003-आर्थिक दिनांक 2.6.2005
39वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 8.9.2005
40वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 16.9.2005
41वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 29.11.2005
42वां	301-34/2005-आर्थिक दिनांक 7.3.2006
43वां	301-2/2006-आर्थिक दिनांक 21.3.2006
44वां	301-34/2006-आर्थिक दिनांक 24.1.2007
45वां	301-18/2007-आर्थिक दिनांक 5.6.2007
46वां	301-36/2007-आर्थिक दिनांक 24.1.2008
47वां	301-14/2008-आर्थिक दिनांक 17.3.2008
48वां	301-31/2007-आर्थिक दिनांक 01.9.2008
49वां	301-25/2009-ईआर दिनांक 20.11.2009
50वां	301-24/2012-ईआर दिनांक 19.04.2012
51वां	301-26/2012-ईआर दिनांक 20.04.2012
52वां	301-41/2012-एफएण्डईए दिनांक 19.09.2012
53वां	301-39/2012-एफएण्डईए दिनांक 01.10.2012

टिप्पणी 2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (चौवनवां संशोधन) आदेश, 2012 के लिए उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

## व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण(यूसीसी) पर रोक लगाने के लिए, एक प्रभावी तंत्र का प्रावधान करने हेतु दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) दिनांक 1 दिसंबर 2010 को जारी किया। इन विनियमों के सभी उपबंध, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 से लागू हुए। उक्त विनियम ने प्रति दिन, प्रति सिम 200 एसएमएस की सीमा निर्धारित कर दी थी। यह प्रतिबंध, अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण को एक सीमा तक रोकने में सफल रहा। तथापि, प्रति दिन, प्रति सिम 200 एसएमएस की सीमा को हटाए जाने के उपरांत, 10 अंकीय नंबरों से अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण से संबंधित शिकायतों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई। अतः अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण की बढ़ती हुई संख्या का निवारण करने हेतु आगे विनियामक उपाय करने की आवश्यकता है।
2. अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण की चिंता का प्रभावी रूप से निवारण करने के उद्देश्य से, भादूविप्रा द्वारा परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई। हितधारकों से प्राप्त फीडबैक एवं मामलों के अन्य तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (दसवां संशोधन) विनियम, 2012 जारी किया गया। इस संशोधन में, अन्य बातों के साथ-साथ मूल विनियम के विनियम 20 के उप-विनियम (2) में यह उल्लेख करते हुए संशोधन किया गया कि विनियम 14 के अंतर्गत पंजीकृत टेलीमार्केटर या लेन-लेन संबंधी संदेश भेजने वाली किसी संस्था के अलावा, किसी अन्य व्यक्ति पर, प्रथम रूप से अधिसूचित दूरसंचार टैरिफ आदेश में यथा-विनिर्धारित दर से प्रभारित किया जाएगा।
3. प्राधिकरण ने यह पाया है कि ग्राहक भारी संख्या में प्रचारक एसएमएस भेजने के लिए बाजार में उपलब्ध छूट प्राप्त एसएमएस पैकेज का प्रयोग करके सामान्य टेलीफोन कनेक्शनों से टेलीमार्केटिंग क्रियाकलाप करते हैं। परामर्श प्रक्रिया के दौरान कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि दस अंकीय संख्या का प्रयोग करके वाणिज्यिक संप्रेषण भेजने में अपंजीकृत टेलीमार्केटरों को आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बनाने के लिए, एक विभेदकारी टैरिफ अधिरोपित किया जा सकता है। इन प्रावधानों से, अपंजीकृत टेलीमार्केटर छूट प्राप्त दूरसंचार संसाधन प्राप्त करने हेतु अपना पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित होंगे। कुछ सेवा प्रदाताओं द्वारा बंडल प्लानों एवं पैकेजों की पेशकश की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप एसएमएस की लागत शून्य के करीब हो जाती है। वर्ष 2011 में, प्राधिकरण ने पाया था कि प्रचुर मात्रा में इस प्रकार के एसएमएस प्रचारकों के लिए लुभावने है तथा एक

नेटवर्क से भारी मात्रा में एसएमएस भेजने से दूसरे नेटवर्कों की लागत को बढ़ाया जा सकता है। प्राधिकरण ने यह पाया कि इस प्रकार की प्रक्रिया औचित्य पूर्ण नहीं है तथा इसमें विनियामक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। तदनुसार, दूरसंचार टैरिफ आदेश में संशोधन करके, यह अधिदेशित कर दिया गया है कि सेवा प्रदाता रियायती दरों पर प्रति दिन, प्रति सिम एक सौ से अधिक एसएमएस भेजने की अनुमति नहीं देंगे। तथापि, ग्राहक प्रति दिन, प्रति सिम एक सौ से अधिक एसएमएस भेज सकते हैं, परन्तु इन सभी एसएमएस पर उस दर से प्रभार लिया जाएगा, जो प्रति एसएमएस पचास पैसे से कम नहीं होगा।

- 4 प्रति दिन, प्रति सिम 100 से अधिक एसएमएस भेजने के संबंध में 50 पैसे की न्यूनतम कीमत पर पहुंचने के लिए, प्राधिकरण ने टैरिफ योजनाओं तथा एसएमएस पैकेजों में विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा इस समय वसूल की जा रही एसएमएस दरों की जांच की। यह देखा गया कि अधिकांश ऑपरेटरों द्वारा स्थानीय एसएमएस के लिए वसूल किया जाने वाला प्रभार 1/-रुपया प्रति एसएमएस है। कुछ ऐसी टैरिफ योजनाएं भी हैं, जहां एसएमएस दर पांच पैसा प्रति एसएमएस तक है। इसके अतिरिक्त, एक्सेस सेवा प्रदाता कई विशेष टैरिफ वाउचरों के प्रस्ताव दे रहे हैं, जिनसे निःशुल्क या रियायती दरों पर एसएमएस भेजने का प्रावधान है। उपभोक्ताओं को भारी संख्या में एसएमएस भेजने को निरूत्साहित करने के लिए तथा दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2012 के उद्देश्यों का संवर्धन करने के लिए, प्राधिकरण ने दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2012 के विनियम 20 के उप-विनियम (2) के खंड (ज) में उल्लिखित लेन-देन संबंधी संदेश भेजने वाली संस्था या विनियम 14 के अंतर्गत पंजीकृत टेलीमार्केटर के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रति दिन, प्रति सिम 100 से अधिक एसएमएस भेजने के लिए पचास पैसा के न्यूनतम टैरिफ का निर्धारण करने का निश्चय किया है।
- 5 प्रति दिन, प्रति सिम 100 एसएमएस से अधिक एसएमएस भेजने के लिए पचास पैसा प्रति एसएमएस की न्यूनतम दर प्रस्तुत एसएमएस पैकेजों पर भी लागू होगी। परिणामस्वरूप, ग्राहक किसी भी दिन कितनी भी संख्या में एसएमएस भेजने में सक्षम होंगे परन्तु मुफ्त एसएमएस की संख्या या पचास पैसा प्रति एसएमएस की दर से कम के टैरिफ पर प्रति दिन, प्रति सिम 100 एसएमएस से अधिक एसएमएस नहीं भेजू पाएंगे।

4225 GE/112-2

6. दूरसंचार टैरिफ आदेश 54वां संशोधन क्रियान्वित हो जाने के पश्चात्, ग्राहकों को प्रति दिन, प्रति सिम 100 से अधिक एसएमएस भेजने के लिए उच्चतर दर का भुगतान करना होगा। अतः, यह आवश्यक है कि यह शर्त सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने उन सभी ग्राहकों को स्पष्ट एवं पारदर्शी रूप से प्रेषित कर दी जाए, जो कि अन्य टैरिफ योजना या एसएमएस पैकेजों में उल्लिखित न्यूनतम दरें प्राप्त करने के हकदार हैं।
7. प्राधिकरण उम्मीद करता है कि अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स द्वारा भेजे जा रहे अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण की चुनौती से दूरसंचार ग्राहकों की प्रभावी रूप से संरक्षा करने के लिए, प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए कई प्रयासों में से एक प्रयास प्रति दिन, प्रति सिम 100 एसएमएस से अधिक एसएमएस भेजने के लिए पचास पैसा प्रति एसएमएस न्यूनतम टैरिफ अधिसूचित करना है।

## TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2012

#### The Telecommunication Tariff (Fifty Fourth Amendment) Order, 2012

(No. 6 of 2012)

**No. 301-59/2012-F&EA.**— In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely: -

1. (1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Fifty Fourth Amendment) Order, 2012.
- (2) This Order shall come into force on the 20<sup>th</sup> day of November, 2012.
2. In clause 3 of the Telecommunication Tariff Order, 1999 (hereinafter referred to as the principal tariff order), for the word and figures "Schedule I to XII", the word and figures "Schedule I to XIII" shall be substituted.
3. After Schedule XII to the principal tariff order, the following schedule shall be inserted, namely:-

## "SCHEDULE XIII

(See clause 3)

Tariff for Short Message Services sent by persons other than a telemarketer registered under regulation 14 or an entity sending transactional message, referred in clause (k) of sub-regulation (2) of regulation 20 of The Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 (6 of 2010)

ITEM	TARIFF
1. Upto one hundred SMS per SIM per day	Forbearance
2. Every SMS beyond one hundred SMS per SIM per day	Not less than fifty paisa per SMS

RAJ PAL, Advisor (F &amp; EA)

[ADVT.-III/4/142/12/Exty.]

**Note 1 :** The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No.99/3 dated 9<sup>th</sup> March, 1999, and subsequently amended as given below:-

Amendment No.	Notification No. and Date
1 <sup>st</sup>	301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.3.1999
2 <sup>nd</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999
3 <sup>rd</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999
4 <sup>th</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 28.7.1999
5 <sup>th</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.9.1999
6 <sup>th</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.9.1999
7 <sup>th</sup>	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.3.2000
8 <sup>th</sup>	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.7.2000
9 <sup>th</sup>	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.8.2000
10 <sup>th</sup>	306-1/99-TRAI(Econ) dated 9.11.2000
11 <sup>th</sup>	310-1(5)/TRAI-2000 dated 25.1.2001
12 <sup>th</sup>	301-9/2000-TRAI(Econ) dated 25.1.2001
13 <sup>th</sup>	303-4/TRAI-2001 dated 1.5.2001
14 <sup>th</sup>	306-2/TRAI-2001 dated 24.5.2001

15 <sup>th</sup>	310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.7.2001
16 <sup>th</sup>	310-5(17)/2001-TRAI(Econ) dated 14.8.2001
17 <sup>th</sup>	301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.1.2002
18 <sup>th</sup>	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.1.2002
19 <sup>th</sup>	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.2.2002
20 <sup>th</sup>	312-7/2001-TRAI(Econ) 14.3.2002
21 <sup>st</sup>	301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.6.2002
22 <sup>nd</sup>	312-5/2002-TRAI(Eco) dated 4.7.2002
23 <sup>rd</sup>	303/8/2002-TRAI(Econ) dated 6.9.2002
24 <sup>th</sup>	306-2/2003-Econ dated 24.1.2003
25 <sup>th</sup>	306-2/2003-Econ dated 12.3.2003
26 <sup>th</sup>	306-2/2003-Econ dated 27.3.2003
27 <sup>th</sup>	303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.4.2003
28 <sup>th</sup>	301-51/2003-Econ dated 5.11.2003
29 <sup>th</sup>	301-56/2003-Econ dated 3.12.2003
30 <sup>th</sup>	301-4/2004(Econ) dated 16.1.2004
31 <sup>st</sup>	301-2/2004-Eco dated 7.7.2004
32 <sup>nd</sup>	301-37/2004-Eco dated 7.10.2004
33 <sup>rd</sup>	301-31/2004-Eco dated 8.12.2004
34 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 11.3.2005
35 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 31.3.2005
36 <sup>th</sup>	312-7/2003-Eco dated 21.4.2005
37 <sup>th</sup>	312-7/2003-Eco dated 2.5.2005
38 <sup>th</sup>	312-7/2003-Eco dated 2.6.2005
39 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 8.9.2005
40 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 16.9.2005
41 <sup>st</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005
42 <sup>nd</sup>	301-34/2005-Eco dated 7.3.2006
43 <sup>rd</sup>	301-2/2006-Eco dated 21.3.2006
44 <sup>th</sup>	301-34/2006-Eco dated 24.1.2007
45 <sup>th</sup>	301-18/2007-Eco dated 5.6.2007
46 <sup>th</sup>	301-36/2007-Eco dated 24.1.2008
47 <sup>th</sup>	301-14/2008-Eco dated 17.3.2008
48 <sup>th</sup>	301-31/2007-Eco dated 1.9.2008
49 <sup>th</sup>	No. 301-25/2009-ER dated 20.11.2009



50 <sup>th</sup>	301-24/2012-ER dated 19.4.2012
51 <sup>st</sup>	301-26/2011-ER dated 19.4.2012
52 <sup>nd</sup>	301-41/2012-F&EA dated 19.09.2012
53 <sup>rd</sup>	301-39/2012-F&EA dated 1.10.2012

**Note 2 :** The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Fifty Fourth Amendment) Order, 2012.

### **EXPLANATORY MEMORANDUM**

1. The Telecom Regulatory Authority of India issued the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulation, 2010 (6 of 2010) dated the 1st December, 2010 to provide an effective mechanism for curbing unsolicited commercial communications (UCC). All the provisions of regulations came into force from 27th September 2011. The above regulation had put a limit of 200 SMS per day per SIM. This restriction had the desired effect in curbing UCC to a great extent. However, after the removal of the cap of 200 SMS per day per SIM, the number of complaints relating to UCC from 10 digit numbers have increased manifold. This required further regulatory measures to address the increasing menace of UCC.
2. With a view to effectively address the concerns on unsolicited commercial communications, TRAI had undertaken a Consultation process. Keeping in view the feedback received from the stakeholders and other facts and circumstances of the case, TRAI has issued The Telecom Commercial Communications Customer Preference (Tenth Amendment) Regulations, 2012. This Amendment has inter-alia modified sub-regulation (2) of regulation 20 of the principal regulations, specifying that any person other than a telemarketer registered under regulation 14 or an entity sending transactional message shall be charged as specified in the Telecommunication Tariff Order to be notified separately.
3. The Authority has observed that subscribers undertaking telemarketing activities using normal telephone connections use discounted SMS packages available in the market, for sending bulk promotional SMSs. During the consultation, some of the stakeholders have suggested that a differential tariff may be imposed to make it economically unviable for unregistered

telemarketers to send commercial communications using ten digit numbers. Such provisions will also encourage unregistered telemarketers to get them registered to get discounted telecom resources. Some service providers offer bundled plans and packages where the SMS charges effectively become close to zero. As far back as 2011, the Authority recognised that such bulk SMS rates are attractive to advertisers and can impose costs on other networks by directing heavy traffic to other operators' networks. The Authority had recognised that such practices justified regulatory intervention. Accordingly, TTO has been amended mandating the service providers not to allow sending of more than one hundred SMS per day per SIM at concessional rate. However, subscribers can send SMS beyond one hundred SMS per day per SIM, but all such SMSs will be charged at the rate of not less than fifty paisa per SMS.

4. While arriving at the floor price of 50 paisa in respect of SMS in excess of 100 per day per SIM, the Authority looked into the SMS rates currently levied by various operators in the tariff plans as well as SMS packages. It was noticed that the maximum rates levied by most of the operators for local SMS is Re.1 per SMS. There are also tariff plans where SMS rate is as low as 5 Paisa per SMS. Further, the access service providers are also offering a number of special tariff vouchers providing free and/or concessional SMS rates. With a view to disincentivise the consumers from sending large number of SMS and to augment the objective of The Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2012, the Authority has decided to specify a floor tariff of fifty paisa for SMS exceeding 100 per SIM per day sent by persons other than a telemarketer registered under regulation 14 or an entity sending transactional message referred in clause (k) of sub regulation 2 of regulation 20 of The Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2012.
5. The above floor price of fifty paisa per SMS exceeding 100 SMS per SIM per day will also apply to the SMS packages offered. Consequently, though consumers shall be able to send any number of SMS on any day, the number of free SMS or SMS at tariff less than fifty paisa per SMS shall not exceed 100 SMS per SIM per day.

6. After implementation of the TTO 54<sup>th</sup> Amendment, the subscribers may have to pay a higher rate for SMS in excess of 100 per day per SIM. Therefore, it is essential that this condition is explicitly and transparently conveyed by service providers to all subscribers who are otherwise entitled to lower rates in their tariff plans or SMS packages.
7. The Authority expects that notifying a floor tariff of fifty paise per SMS for SMS exceeding 100 SMS per SIM per day would be one of the several measures initiated to effectively protect the telecom subscribers from the menace of unsolicited commercial communications being sent by the unregistered telemarketers.